का॰ज्ञा॰सं॰ 14034/29/99-रा॰भा॰ (प्रशि॰), दिनांक 14 सितंबर, 2000

विषय: हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के प्रशिक्षण के लिए हिन्दी शिक्षण योजना/विभागीय व्यवस्था के अंतर्गत स्थापित अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्रों पर नियुक्त अंशकालिक अनुदेशकों को देय मानदेय (पारिश्रमिक) की दरों में परिशोधन।

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11015/1/79-रा॰भा॰ (घ), दिनांक 20.11.1979, कार्यालय ज्ञापन संख्या-11015/1/86-रा॰भा॰(घ), दिनांक 19.2.1987 तथा कार्यालय ज्ञापन संख्या 22011/5/95-के॰हि॰प्र॰सं॰/ 1075, दिनांक 7.3.1996 का हवाला देते हुए अधोहस्ताक्षरी को हिंदी शिक्षण योजना/विभागीय व्यवस्थाओं के अंतर्गत नियुक्त हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के अंशकालिक अनुदेशकों को निम्नलिखित संशोधित दरों पर मानदेय (पारिश्रमिक) देने के लिए राष्ट्रपति जी की मंजूरी सूचित करने का निर्देश हुआ है:—

वर्तमान मानदेय की दरें	संशोधित मानदेय की दरें
हिंदी टंकण	
15/- रुपये प्रतिमास प्रति प्रशिक्षार्थी	45/- रुपये प्रतिमास प्रति प्रशिक्षार्थी,
150/- रुपये प्रतिमास यदि प्रशिक्षार्थियों की संख्या 6 से 10 तक हो; और	450/- रुपये प्रतिमास यदि प्रशिक्षार्थियों की संख्या 6 से 10 तक हो और
250/- रुपये यदि प्रशिक्षार्थियों की संख्या 10 से अधिक हो।	750/- रुपये यदि प्रशिक्षार्थियों की संख्या 10 से अधिक हो
हिंदी आशुलिपि	
30/- रुपये प्रतिमास प्रति प्रशिक्षार्थी	90/- रुपये प्रतिमास प्रति प्रशिक्षार्थी,
250/- रुपये प्रतिमास यदि प्रशिक्षार्थियों की संख्या 6 से 10 तक हो और	750/- रुपये प्रतिमास यदि प्रशिक्षार्थियों की संख्या 6 से 10 तक हो और
350/- रुपये प्रतिमास यदि प्रशिक्षार्थियों की संख्या 10 से अधिक हो।	1050/- रुपए प्रतिमास यदि प्रशिक्षार्थियों की संख्या 10 से अधिक हो

2. इस संबंध में अन्य शर्तें उसी प्रकार होंगी जैसा कि इस विभाग के दिनांक 7 सितंबर, 1977 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12043/56/74-एच-1/रा॰भा॰(घ) में उल्लेख किया गया है।

3. यह कार्यालय ज्ञापन सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।

4. मानदेय की दरों में यह संशोधन 1 सितम्बर, 2000 से लागू होगा।

5. यह वित्त प्रभाग, गृह मंत्रालय द्वारा उनकी अ॰वि॰वि॰ सं॰-एच॰ 116/2000/वित्त-II, दिनांक 16 अगस्त, 2000 के तहत दी गई सहमति से जारी किया गया है।